क़ुर्आन और इमामे मज़लूम (अ0) का मरसिया

जनाब मोहम्मद सादिक़ साहिब
अनुवादक – जर्रार रिज़ा नक़वी

मुहर्रम का चाँद निकलते ही फसले अज़ाए हुसैन की शुरुआत हो जाती है, यह सिलसिला सन् 61 हिजरी में ही इमामे हुसैन (अ0) की शहादत के बाद से ही शुरु हो गया था जब यज़ीद के दरवाद में जनाबे इमामे हुसैन (अ0) की बहन जनाबे ज़ैनब ने पहली सफे अज़ा बिछाकर अपने भाई की शहादत पर गिरया व नौहा ख़्वानी की थी। तक से यह सिलसिला यूँ ही चला आ रहा है वैसे तो शहादते इमामे हुसैन (अ0) के बहुत पहले ही शहादते इमामे हुसैन (अ0) का ज़िक्र न सिर्फ क़ुर्आन में आया है बल्कि स्वयं रसूल (स0) ने इमामे हुसैन (अ0) की सफे अज़ा बरपा की थी जो एक तारीख़ी सुबूत है।

हम यहाँ पर क़ुर्आन की कुछ आयतें पेश करते हैं जिसमें इमाम मज़लूम का मरसिया मितला है।

पहली आयत में इमाम हुसैन (अ0) की पैदाईश के बारे में है, इरशाद होता है : ''ववस्सैइनल इन्साना बिवालिदैइही इह्साना, हमलत्हू उम्मुहू कुरहन ववज़अतुहू कुरहा''(सूर–ए–अहक़ाफ़, आयत 5)

और हम ने इन्सान को अपने माँ–बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया क्योंकि उसकी माँ ने रंज की हालत में उसको पेट में रखा और रंज से ही उसे जना।

बिहारुल अनवार में पक्की सनद के साथ रिवायत हुई है कि जब हुसैन (अ0) सा पाक नूर फातिमा (अ0) के पेट में आया, जिबरील नाज़िल हुए और यह कहा कि ऐ मुहम्मद (स0)! अल्लाह आपको खुशख़बरी देता है उस पैदा होने वाले की जो फातिमा (अ0) के पेट में है और आपकी उम्मत उसे क़त्ल करेगी। पैग़म्बर (स0) ने जवाब दिया मुझे उस बेटे की ज़रूरत नहीं जिसको मेरी उम्मत क़त्ल करेगी। जिबरील आसमान पर गए और फिर पलट कर आए और वही बात दुहराई और वही जवाब सुना, तीसरी बार जिबरील ने कहा अल्लाह आपको खुशख़बरी देता है इस बात की कि वसिय्यत और इमामत उस पैदा होने वाले की औलाद में होगी, अब पैग़म्बर राज़ी हो गए।

दूसरी आयत हज़रत (स0) के मदीने से रुख़सत होने के बारे में है इरशाद होता है:–''उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर'' (सूर–ए–हज आयत 39)

''जिन मुसलमानों से काफिर लड़ते थे क्योंकि वह बहुत सताए गए इस वजह से उन्हें भी जिहाद की इजाज़त दी गई और खुदा उन लोगों की मदद पर यक़ीनन ताक़त रखने वाला है।''

इमाम सादिक़ (अ0) से एक रिवायत लिखी गई है कि यह आयत अली, जाफर व हमज़ा (अ0) के लिए नाज़िल हुई और सच हो गई हुसैन इब्ने अली के लिए। क्योंकि इमाम मज़लूम को मदीने में रहने नही दिया गया बल्कि कहीं रहने नही दिया गया। उनके लिए कहीं भी अमन नही था यहाँ तक कि इमाम ने फरमाया अगर मैं जानवर के सूराख़ में छुप जाऊँ तो भी वह मुझे

निकाल कर क़त्ल कर देंगे।

तीसरी आयत, हुसैन (अ0) ही नफ्से मुतमइन्नह हैं। इरशाद होता है : ''या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह...........'' (सूर–ए–फ़ज्र आयत 28)

''ऐ नफ्से मुतमइन्नह पलट आ अपने रब की तरफ।'' और यक़ीनन इमाम मज़लूम साहब नफ्से मुतमइन्नह थे, जो अल्लाह को पहचान लेता है और उसकी ताक़त और बड़ाई को समझ लेता है वह अल्लाह को दोस्त रखता है, और जो अल्लाह को दोस्त रखता है उस से राज़ी रहता है और उसकी तरफ से जो मुसीबतें उस पर पड़ती हैं उस से राज़ी रहता है, बल्कि सख़्त से सख़्त मुसीबतों और परेशानियों के वक़्त उसका सुकून और बढ़ जाता है और इस बात का मिस्दाक़ हुसैन (अ0) की पाक ज़ात है।

चौथी आयत में ज़ुल्म से मुराद हुसैन (अ0) की शहादत है। इरशाद होता है : ''वमन कुतिला मज़लूमन फक़द जअल्ना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युसरिफ फिल क़तलि''

जो मज़लूम क़त्ल होता है हम उसके वली को बदले का इख़्तियार दे देते हैं लेकिन उसे भी चाहिए कि क़त्ल में हद से आगे न बढ़ जाए।

हम कहते हैं कि मज़लूम क़त्ल होने के कई मानी हैं जो सब इमाम मज़लूम पर सही आते हैं। एक मानी मज़लूम के यह हैं कि उन पर हमला किया गया, उनके साथियों और मददगारों को शहीद किया गया, उनका पाक जिस्म ज़ख़्मों से भर गया, कोई हिस्सा न बचा जो ज़ख़्मी न हुआ हो, यहाँ तक कि गुलु–ए–मुबारक पर भी ज़ख़्म लगा। इसीलिए दुआ में आया है :– ''उनसिदुका दमल मज़लूम'' तुमको क़सम है खूने मज़लूम की।

दूसरे मानी मज़लूम होने के क़त्ल की हालत में है। मुस्तहब है कि कुर्बानी के वक़्त चाकू तेज़ हो, जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबह न करें और उसके हाथ पैर न बाँधें, ज़िबह से पहले पानी पिलाएँ। लेकिन हुसैन (अ0) के क़त्ल के वक़्त इन कामों में से कोई काम नही किया गया बल्कि इमाम मज़लूम को प्यासा ज़िबह किया गया। तीसरे मानी मज़लूम के क़त्ल के बाद की मज़लूमियत है, लिबास उतारना, बदन के हिस्सों को काटना, और लाश को बिना कफन–दफन के छोड़ना यह भी हुसैन (अ0) से जुड़ा हुआ है।

पाँचवीं आयत हुसैन के क़ातिलों से बदला। इरशाद होता है :– ''वइज़ल मौऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत।'' (सूर–ए–तकवीर, आयत 8, 9)

इमामे सादिक़ (अ0) से रिवायत है कि यह आयत इमाम हुसैन (अ0) की शान में नाज़िल हुई। आयत के ज़ाहिरी मानी हे जब ज़िन्दा दफन की जाने वाली लड़कियाँ क़यामत के दिन सवाल करेंगी कि किसी जुर्म में उन्हें क़त्ल किया गया है। लेकिन मौऊदा के हक़ीक़ी मानी हुसैन (अ0) अपने घर वालों के साथ हैं। क्योंकि मौऊदा का मतलब है ज़मीन के अन्दर बन्द करना, और साँस रुकना, भूख व प्यास के साथ और इमाम हुसैन (अ0) और उनके घर वाले आशूर की सुब्ह से अस्र तक इसी हालत से जुड़े थे और उन्हीं से अल्लाह तआला सवाल करेगा किस गुनाह के बदले उन्हें क़त्ल किया गया।

छठी आयत ज़ब्हे अज़ीम है मुराद हुसैन (अ0) हैं :– ''वफदैइनाहु बिज़बहिन अज़ीम'' (सूर–ए–साफ्फात, आयत 107)

''और हम ने इस्माईल का फिदया एक बड़ी कुर्बानी को बना दिया।''

इस आयत में कर्बला के क़िस्से और इमामे मज़लूम की बड़ी अज़ीम शहादत का ज़िक्र है।